उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।

रिट याचिका (एम/एस) सं0–87/2021

एम/एस खुराना ब्रदर्स एवं अन्य .....याचिकाकर्ता।

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य .....उत्तरदाता।

श्री सिद्धार्थ सिंह, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता।
श्री एन0एस0 पुण्डीर, उप महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड राज्य।

माननीय शरद कुमार शर्मा, जे0 (मौखिक)।

याचिकाकर्ता, जो वर्तमान में संख्या में तीन हैं, रिट याचिका, आक्षेपित के खिलाफ अपनी शिकायतों को उठाया है। आदेश दिनांकित 25.09.2020 जो प्रतिवादी द्वारा पारित किया गया है। क्रमांक 1 नीलामी 12.50 % की दर से मुद्रांक शुल्क वसूल करने का निर्देश रेजिन की बिक्री, जो याचिकाकर्ताओं के अनुसार, में होती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन जैसा कि प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 27.10.2010 को इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने खुद को क्वालीफाई किया।

2. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि मांग पर सरकार द्वारा संशोधित दर के अनुसार भुगतान की जाने वाली स्टाम्प ड्यूटी ऑर्डर, बाद में 8% जिसे शुरू से घटाकर 8% कर दिया गया था। मामला 1993 की रिट याचिका संख्या 8959, मैसर्स में इस न्यायालय के समक्ष यात्रा की न्यूटेक वार्निश उद्योग और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और दूसरा और इलाहबाद में न्यायपालिका का उच्च न्यायालय, जो था मामले के साथ समाप्त हो गया और धारा 35 के तहत इसके स्थानान्तरण के बाद पुनर्गठन अधिनियम, 2002 की रिट याचिका संख्या 297 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया था, जिसे माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांकि 13.04.2004 द्वारा खारिज कर दिया था।

3. डिवीजन द्वारा रिट याचिका खारिज किए जाने के बाद इस कोर्ट की बेंच, उसमें याचिकाकर्ता, जिसमें मौजूद भी शामिल है। याचिकाकर्ता भी, जो 2001 की रिट याचिका संख्या 902 का याचिकाकर्ता था। मैसर्स खुराना ब्रदर्स बनाम उत्तरांचल राज्य और अन्य 2 था। इस न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की, 2004 की समीक्षा याचिका संख्या 2345, जिसे अनुमति दी गयी थी। निर्णय और आदेश दिनांक 27.12.2007, जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता के अनुच्छेद 18 के अनुसार स्टाम्प शुल्क 12.50% के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। छाप अधिनियम।

4. दिनांक 27.12.2007 की समीक्षा के निर्णय के विरुद्ध के इशारे पर मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष गया 2008 की एस.एल.पी. संख्या 11352 दाखिल करके उत्तराखण्ड राज्य बनाम मैसर्स खुराना बद्रर्स, जिसे बाद में सिविल के साथ सौंपा गया था। 2009 की अपील संख्या 5876 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले के तहत दिनांक 27.10.2010 विस्तृत रूप से राल के प्रभाव पर विचार करने के बाद जो निविदा प्रक्रिया के माध्यम से बेचा गया है, एक हो जाएगा अचल संपत्ति और इसके रूप में वाहन के निहितार्थ को चित्रित करना स्टाम्प अधिनियम की धारा 2 (10) के तहत परिभाषित यह आयोजित किया गया था कि यह होगा चल संपत्ति के रूप में माना जाता है और स्टाम्प जो होगा उसी पर लगाया जाएगा। स्टाम्प अधिनियम अनुच्छेद 23 (1)(b) के अनुसार होगा और स्टाम्प अधिनियम अनुच्छेद 18 के तहत प्रभार्य नहीं होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुच्छेद संख्या 12 और 13 नीचे निकाला जाता है।

> “12. अभिव्यक्ति दस्तावेज में परिभाषित नहीं किया गया है टिकट कार्यवाही करना, हालांकि सामान्य खंड अधिनियम, 1897 दस्तावेज को निम्नानुसार परिभाषित करता है।
>
> > ‘‘S.3(18) दस्तावेज में कोई भी मामला शामिला होगा, किसी पर लिखा, व्यक्त या वर्णित अक्षरों, अंकों या चिह्नों के माध्यम से पदार्थ या उनमें से एक से अधिक माध्यमों से जो है, उपयोग करने का इरादा या जिसका उपयोग किया जा सकता है, उस मामले को रिकार्ड करने का उद्देश्य।‘‘

13. धारा 2(10) के तहत, अन्य बातों के साथ–साथ, प्रत्येक दस्तावेज जिससे चल संपत्ति का हस्तांतरण होता है 'वाहन'। कच्चे तेल के लिए बिक्री का अनुबंध करता है, पार्टियों के बीच में प्रवेश करने वाली राल की राशि चल संपत्ति का हस्तांतरण? हमारी राय में, यह करता है। विचाराधीन अनुबंध में, सभी चल संपत्ति के हस्तांतरण की आवश्यक शर्तें संतुष्ट हैं। इस दस्तावेज द्वारा नीलाम लॉट में सही रिट के पक्ष में कच्चे राल का निर्माण किया गया है। याचिकाकर्ता। इसी क्रम में राज्य सरकार है कच्चे तेल की मात्रा देने के दायित्व के तहत 3 दस्तावेज में निर्दिष्ट राल। विशेष रूप से, खंड 1(बी) प्रदान करता है कि बेचा जाने वाला रेजिन पर रहेगा इसकी स्वीकृति की तिथि से क्रेता का जोखिम बोली और विक्रेता किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे और नुकसान जो किसी से भी हो सकता है, जो भी कारण हो। दस्तावेज को समग्र रूप से पढ़ा जाता है इसमें कोई संदेह नहीं है कि संपत्ति में क्रेता में निहित कच्चे राल के ढेर की नीलामी की विषय अनुबंध के परिणामस्वरूप और, इस प्रकार राशि चल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए। भले ही दिनांक 24 मार्च, 2001 के दस्तावेज को एक के रूप में माना जाता है स्वीकृति पत्र को ध्यान में रखते हुए बेचने का समझौता दिनांक 7 अप्रैल, 2001 जिससे रिट याचिकाकर्ता के पास है को सूचित किया गया है कि इसमें सार्वजनिक नीलामी स्वीकार की जाती है नाम और यह कि इसे उठाने की व्यवस्था करनी चाहिए जारी होने के 60 दिनों के भीतर राल की नीलामी की यह पत्र, यह बहुत स्पष्ट है कि बिक्री का अनुबंध दिनांक 24 मार्च, 2001 दिनांकित पत्र के साथ पढ़ा गया 7 अप्रैल, 2001 के भीतर 'संवहन' की मात्रा धारा 2(10) का अर्थ और स्टाम्प के लिए प्रभार्य है अनुच्छेद 23 के तहत कर्तव्य, अनुसूची I–बी के रूप में स्वीकार्य रूप से स्टाम्प शुल्क के भुगतान से कोई छूट नहीं है अनुच्छेद 62 के तहत इस तरह के वाहन के संबंध में।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले ने अपनी उपलब्धि हासिल कर ली थी अंतिमता, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि स्टाम्प शुल्क जो प्रभार्य होगा के अनुच्छेद 23 के आधार पर होगा स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1 (बी)। उक्त निर्णय के बावजूद अभी भी कानून की नजर में निर्वाह, की प्रक्रिया में उत्तरदाताओं बढ़ी की नीलामी, जिसके आधार पर उन्होंने सहारा लिया है बोलियों का आमंत्रण, एक संपन्न अनुबंध को निष्पादित किया जाना था याचिकाकर्ता और प्रतिवादियों के बीच, लेकिन निष्पादित करते समय विवादित आदेश द्वारा अनुबंध, उन्होंने फिर से लगाया है के अनुसार स्टाम्प शुल्क देय किये जाने का निर्देश दिया गया है स्टाम्प अधिनियम का अनुच्छेद 18, जो इसके उल्लंघन में है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने फैसले में पहले से तय किए गए सिद्धांत दिनांक 27.10.2010, इसलिए कार्रवाई अवमाननापूर्ण भी होगी।

6. यदि विश्लेषण, जो आक्षेपित में किया गया है 25.09.2020 का आदेश, जिसे चुनौती दी गई है याचिकाकर्ता, जो निर्देश के अनुपालन में लिया गया निर्णय था इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 04.09.2019 को रिट में जारी किया गया 2012 की याचिका संख्या 421, ''मैसर्स खुराना ब्रदर्स और अन्य बनाम। उत्तराखंड राज्य और अन्य'', वास्तव में यदि निष्कर्ष, जो प्रमुख सचिव द्वारा अपने निर्णय दिनांक के अनुसार आ गया है 25.09.2020, पर 12.50% की दर से स्टाम्प शुल्क लगाने का तर्क वृद्धि की बिक्री, वास्तव में एक बार इसे एक अचल होने के लिए आयोजित किया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संपत्तिय इसे पकड़कर रखना कि यह गिर जाएगा स्टाम्प अधिनियम के अनुच्छेद 23 के तहत। निष्कर्ष निकाला गया, उसमें, द्वारा प्रतिवादी संख्या 1, अनुसूची 1 (बी) (के.ए.) के अनुसार स्टांप शुल्क लगाकर अनुच्छेद 18 का, 12.50% की दर से स्टाम्प शुल्क लगाने का निर्देश देते हुए, के स्थापित सिद्धांतों के स्पष्ट उल्लंघन में होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 27.10.2010 के फैसले के अनुसार।

7. इस मामले को देखते हुए, आक्षेपित आदेश के बाद से ही स्पष्ट रूप से द्वारा निर्धारित अनुपात के उल्लंघन में होता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय को स्टाम्प ड्यूटी लगानी पड़ी है स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1(बी) के अनुच्छेद 23 के अनुसार बनाया जाना चाहिए, न कि स्टाम्प अधिनियम के अनुच्छेद 18 (1)(बी) के अनुसार, जिसे आकर्षित किया गया है की बिक्री पर स्टाम्प लगाने का आक्षेपित आदेश राल।

8. इस न्यायालय का मत है कि आक्षेपित आदेश दिनांकित है 25.09.2020 की बिक्री पर 12.50% की दर से स्टाम्प शुल्क लगाना रालधलिसा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन है दिनांक 27.10.2010।

9. इसलिए, रिट याचिका को स्वीकार किया जाएगा। दिनांक 25.09.2020 के विवादित आदेश को इस हद तक रद्द कर दिया जाएगा कि यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांकित निर्णय के विपरीत चलता है 27.10.2010, और राल की बिक्री के लिए, जो कि एक विषय वस्तु है प्रश्न, वर्तमान रिट याचिका में, नीलामी के अनुसरण में कार्यवाही, जिसका संचालन उत्तरदाताओं द्वारा किया गया। वही होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार लगाया जाएगा, जैसा कि फैसले के पैरा संख्या 12 और 13 में निहित है, जो है ऊपर निकाला गया।

10. परमादेश रिट के माध्यम से, उत्तरदाता हैं निर्देश दिया कि लीसा की बिक्री पर स्टांप शुल्क देय होगा अनुसूची 1 (बी) के अनुच्छेद 23 के अनुसार, और अनुच्छेद 18 के अनुसार नहीं स्टाम्प अधिनियम, जिसे प्रतिवादियों द्वारा आरोपित किया गया है आक्षेपित आदेश।

11. इसलिए, विवादित आदेश को संशोधित किया जाएगा हद तक कि स्टाम्प शुल्क जो भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा याचिकाकर्ता अनुच्छेद 23 के निहितार्थ के आधार पर होगा (बी) और स्टाम्प अधिनियम के अनुच्छेद 18 के अनुसार नहीं।

12. अतः रिट याचिका स्वीकार की जाती है। उत्तरदाता हैं दिनांक 25.09. 2020 के विवादित आदेश को तदनुसार संशोधित करने का निर्देश दिया, और वाचाओं और निर्देशों के अनुसार स्टाम्प शुल्क लगाते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.10.2020 को लागू करके दरों के आधार पर विचाराधीन लेनदेन पर स्टाम्प शुल्क स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1 (बी) के अनुच्छेद 23 के तहत निर्धारित। राशि जो याचिकाकर्ता द्वारा अनुपालन में जमा की गई है इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश, तदनुसार समायोजित किया जाएगा नए आदेश के पारित होने और अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, के बाद की अनुसूची 1(बी) के अनुच्छेद 23 के अनुसार क्या लगाया जाएगा स्टाम्प अधिनियम, याचिकाकर्ता को वापस प्रेषित किया जाना सुनिश्चित

किया जाएगा। में मामला, अगर यह दो महीने की अवधि के भीतर राशि से अधिक है इस फैसले की प्रमाणित प्रति के उत्पादन की तारीख से।

13. अंतरिम आदेश दिनांक 13.01.2021 के अनुपालन में, यह कोर्ट ने याचिकाकर्ता को स्टैंप ड्यूटी का 2% जमा करने का निर्देश दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादियों के समक्ष निपटारा किया गया, जो कि याचिकाकर्ता ने अनुपालन किया है। तथापि, शेष राशि 10.50% इस न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा करने का निर्देश दिया था।

14. आज जो फैसला सुनाया गया है, उसे देखते हुए। रजिस्ट्री को शेष राशि 10.50 की दर से लौटाने का निर्देश दिया जाता है याचिकाकर्ता द्वारा इस न्यायालय की रजिस्ट्री के समक्ष, ब्याज सहित, यदि कोई हो, जमा करने का निर्देश दिया गया है, यदि यह जमा करना।

(शरद कुमार शर्मा)

25.04.2022